यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता (पी०एम०जी०एस०वाई०) पीडब्ल्यूडी पोखरी चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंडदेहरादून की कोई जिम्मेदारी होगी। नहीं

कार्यालय **अधिशासी अभियंता (पी०एम०जी०एस०वाई०) पीडब्ल्यूडी पोखरी चमोली** के माह 09/ 2015से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक03-11-2018 से 17-11-2018 तक श्री टी॰ एस॰ नेगी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा प्रदीप कुमार मौर्या एवं मनीष श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा 15.09.2015 से 24.09.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी। जिसमे माह 04/2014 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत तीन ब्लाक जोशीमठ, दशोली एवं पोखरी क्षेत्र आते है।
   इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु करोड़ मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)₹**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2015-16	----	1.60	1.60	1.56	15.79	11.97	-----	1.53
2016-17	-----	1.53	2.10	1.47	20.40	19.21	-----	1.70
18-2017	------	1.70	1.69	1.61	43.46	28.96	-----	1.56

नोट:- वर्ष 2015-16 मे रु 3.93 करोड़, 2016-17 मे रु 1.65 करोड़, 2017-18 मे रु 14.72 करोड़ का समर्पण किया गया ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु करोड़ मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्राप्त ₹**	**व्यय अधिक्य(+) ₹**	**बचत(-) ₹**
2015-16	प्रोग्राम निधि	15.00	11.12	3.88
2016-17	प्रोग्राम निधि	19.76	18.74	1.02
2017-18	प्रोग्राम निधि	35.44	27.10	8.34

(iii) इकाई को बजट आवंटन यूआरआरडीए द्वारा किया जाता है।गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी ब के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

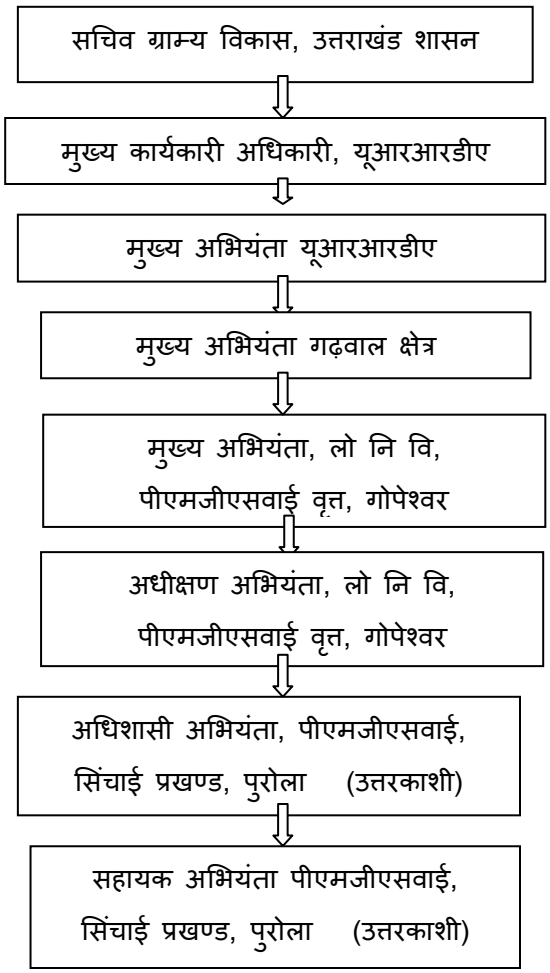

⇩

कार्यालयी विभागीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी पीएमजीएसवाई, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में पोखरी चमोली के अंतर्गत जोशीमठ, दशोली एवं पोखरी का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी।अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकायों की लेखा परीक्षा संपादित की गयी उन्हे अंकित किया जाय ।समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता (पी०एम०जी०एस०वाई०) पीडब्ल्यूडी पोखरी चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रति चयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया। निम्नलिखित योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1. **मारवाणी थैंग मो0 मार्ग स्टेज-I**
2. **सरमोला रानों मो0 मार्ग स्टेज II**
3. **सैंजी लग्गा मैकोट कुंजो मैकोट मो0 मार्ग स्टेज II**
4. **पनई सेमी उत्तरो मो0 मार्ग स्टेज स्टेज-1**
5. **उड़ामांडा - रौता मो0 मार्ग स्टेज 1 & 2**
6. **बरचक सैंजी मो0 मार्ग स्टेज-II**

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- उड़ामांडा - रौता मोटर मार्ग के स्टेज-II मे किया गया अलाभकारी व्यय रु 189.77 लाख एवं स्टेज-1 एवं II हेतु रु 635.41 लाख के अधिक लागत का अनुबंध किया जाना।

जीसीबी के क्लाज 21.1 के अनुसार,the Employer shall handover complete or part possession of the site to the contractor 7 days in advance of construction programme. At the start of the work, the Employer shall handover the possession of at least 75% of the site free of all encumbrances, the remaining 25 % of the possession as per contractor's construction programme.

उक्त मोटर मार्ग संबंधी अभिलेखो की संवीक्षा मे पाया गया कि स्टेज-I के कार्यो हेतु वर्ष 2007 मे अनुबंध सं0 17/एसई-7/2007-08 दिनांक 04.10.2007 द्वारा रु 558.72 लाख (निर्माण) + रु 57.03 लाख (अनुरक्षण) कुल रु 615.75 लाख का गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ कि तिथि 04.10.2007 व समाप्ति की तिथि 03.10.2008 थी। किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य को आधे अधूरे ढंग से छोड़ दिया गया था। वर्ष 2014 मे इकाई द्वारा स्टेज-I के अनुबंध का अंतिमिकरण किया गया। जिसके अंतर्गत अर्थदण्ड रु 110.86 लाख का लगाया गया था जिसकी वसूली वर्तमान तक लंबित थी।

आगे यह पाया गया कि इकाई द्वारा बिना स्टेज-I के कार्य को पूर्ण कराये स्टेज-II के कार्य हेतु वर्ष 2013 मे निविदा आमंत्रित की गयी और अनुबंध सं0 35/एसई-पीएमजीएसवाई/2013-14 दि0 28.06.2013 द्वारा रु 874.06 लाख (रु 829.06 लाख + रु 45.00 लाख) का अनुबंध गठित किया गया। कार्य को किये जाने हेतु माह 05/2013 मे ठेकेदार द्वारा letter of acceptance के तहत कार्य किये जाने की स्वीकार्यता भी दी गयी थी। जिसमे कार्य आरंभ किये जाने की तिथि 28-06-2013 एवं समाप्ति कि तिथि 27-09-2014 थी। स्टेज-II का कार्य 8 माह बाद फरवरी 2014 मे आरंभ किया गया था। अभिलेखो के अनुसार, ठेकेदार द्वारा उक्त अंकित क्लाज 21.1 के अनुसार कि 75 प्रतिशत साइट (लगभग 15.00 किमी सड़क) सही स्थिति मे न होने, अधिकांश स्कपर का निर्माण न होने, तथा क्रास ड्रैनेज का निर्माण न होने के कारण स्टेज-II का कार्य नहीं किया जा सकता, के आधार पर कार्य को आधे अधूरे पर बंद कर दिया । अद्यतन उपलब्ध कराये गये ओममास के अनुसार स्टेज-II के कार्य पर रु 189.77 लाख का व्यय किया जा चुका था। माह 08/2015 को अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा इस आधार पर कि स्टेज-I के ठेकेदार द्वारा मार्ग को पूर्ण चौड़ाई मे काटे न जाने एवं मार्ग पर सीडी स्ट्रक्चर का कार्य न होने के कारण स्टेज-II का कार्य किया जाना संभव नहीं था, कार्य का अंतिमिकरण बिना अर्थदण्ड के करने कि संस्तुति दी गयी । आगे, जनवरी 2016 मे मुख्य अभियंता को प्रेषित पत्र मे इकाई द्वारा पूर्व मे अलग-अलग आमंत्रित निविदाओ (11/2015 एवं 12/2015 मे क्रमशः निविदा एवं तकनीकी निविदा खोली जा चुकी थी) को कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, के आधार पर निरस्त करते हुए स्टेज-I एवं स्टेज II के कार्यो का एक साथ अनुबंध करने का अनुरोध किया गया था । जिसके आधार पर फरवरी 2014 से लगभग 2 वर्ष 10 माह बाद स्टेज I एवं स्टेज II का एक साथ का अनुबंध सं0 41/सीई-यूआरआरडीए/2017-18 दिनांक 20.12.17 द्वारा रु 1394.84 लाख (रु 1312.51 लाख + 82.33 लाख) का उसी ठेकेदार से किया गया। जो बीओक्यू के दर से 93.84 प्रतिशत अधिक थी।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर कि जब स्टेज-1 का कार्य 75 प्रतिशत से अधिक पूरा नहीं हुआ था तो किस आधार पर स्टेज-II का कार्य दिया गया। साथ ही यह भी पूछा गया कि स्टेज-I एवं स्टेज-II के कार्यो को एक साथ कराये जाने का निर्णय वर्ष 2013 मे क्यों नहीं लिया गया। यदि वर्ष 2013 मे उसी ठेकेदार से स्टेज-I एवं स्टेज-II कार्य की निविदा एक साथ की जाती, तो 93.84 प्रतिशत राशि रु 635.41 लाख 1312.51X100÷193.84= ₹ 677.10, Excess

expenditure = 1312.51-677.10 = ₹ 635.41 लाख की अधिक लागत (वर्ष 2017 मे किया गया अनुबंध) से बचा जा सकता था।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि बिना स्टेज-I के कार्य को किये स्टेज-II के कार्यो को कराया जाना जनहित मे किया गया था क्योकि मार्ग काफी समय से अधूरा पड़ा था। तथा वर्ष 2013 मे स्टेज-I के कार्य के अंतिमिकरण की कार्यवाही न किये जाने के कारण स्टेज-II के कार्यो हेतु अनुबंध गठित किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि उक्त क्लाज मे यह स्पष्ट किया गया है कि बिना 75 प्रतिशत साइट को सभी प्रकार के भार (encumbrance) से मुक्त हुए अगले कार्य को नहीं दिया जाना चाहिये था। जिससे जहां एक ओर स्टेज-II मे किये गये व्यय रु 189.77 लाख अलाभकारी रहा, वही दूसरी ओर वर्ष 2013 मे यदि स्टेज-I एवं स्टेज-II का कार्य एक साथ कराया जाता तो 93.84 प्रतिशत, रु 635.41 लाख की अधिक लागत से भी बचा जा सकता था।

अतः स्टेज-II मे किये गये अलाभकारी व्यय रु 189.77 लाख एवं स्टेज-1 एवं II हेतु रु 635.41 लाख के अधिक लागत के अनुबंध का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- सेमी पनाई मोटर मार्ग स्टेज-I मे 11 वर्ष व्यतीत होने एवं रु 355.38 लाख व्यय होने के बावजूद स्टेज-1 का कार्य का अपूर्ण रहना।

सेमी पनाई मोटर मार्ग स्टेज-I की स्वीकृति शासनादेश सं0 1939/पी0 01-06(V)URRDA/05 दिनांक 16/12/2006 द्वारा दी गयी थी। जिसकी स्वीकृति लंबाई 16.50 किमी0 थी। वर्ष 2007 मे कार्य का अनुबंध सं0 32/SE-7-06-07 दिनांक 15-03-07 द्वारा रु 363.02 लाख + रु 37.63 लाख का किया गया था । जिसमे कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.03.2007 तथा समाप्ति कि तिथि 14.03.2008 थी। अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा आधे अधूरे कार्य को मध्य मे ही छोड़ दिया गया (स्टेज-I के पार्ट-I का आधा अधूरा कार्य तथा पार्ट-II का कोई कार्य नहीं किया गया) । मार्च 2011 के अंतिम देयक के अनुसार रु 201.87 लाख का भुगतान (55 प्रतिशत) ठेकेदार को किया जा चुका था। अधीक्षण अभियंता के कार्यालय ज्ञाप 792/186 यातायात -7/ 2010 दिनांक 17.02.2010 द्वारा अनुबंध को निरस्त कर दिया गया। तथा अर्थदण्ड की राशि रु 32.22 लाख ठेकेदार पर आरोपित की गयी। ठेकेदार के चालू देयकों से काटी गयी जमानत राशि रु 10.05 लाख की राशि को घटाकर रु 22.17 लाख की राशि वर्तमान तक ठेकेदार से वसूल किया जाना अवशेष था। जबकि रु 8.08 लाख का सावधि जमा रसीद मिसिंग होने की वजह से वसूली नहीं की जा सकी।

आगे यह देखा गया कि पूर्व अनुबंधित दरो पर अवशेष कार्य कि लागत रु 163.62 लाख + रु रु 32.72 लाख अर्थदण्ड की राशि को जोड़कर = रु 196.34 लाख आती थी। इकाई द्वारा छोड़े गये कार्य कि प्लेन टेबल और डेफेक्ट लैबिलिटी की माप किए बिना और कोटेशन के आधार पर चयनित अनुबंध करके ठेकेदार द्वारा दी गयी दरो के आधार पर रु 187.80 लाख + रु 37.63 लाख का अनुबंध सं0 17/एस ई / दिनांक 5.03.2010 द्वारा अनुबंध किया गया। जिसमे कार्य प्रारम्भ कि तिथि 05.03.2010 एवं समाप्ति कि तिथि 04.11.2010 थी। किन्तु आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी स्टेज-I के पार्ट-I के कार्य भी पूरे नहीं हो पाये (समय वृद्धि 05/2016 तक) और पार्ट-II (ड्रेनेज संबंधी कार्य) के कार्य नहीं हुए। **(संलग्नक के अनुसार)** जबकि ओममास एवं अंतिम देयक के अनुसार रु 187.80 लाख मे से रु 153.51 लाख का व्यय (82 प्रतिशत) किया जा चुका था। तथा कार्य का अंतिमिकरण मध्य मे ही किया जा रहा था । इकाई से इस संबंध मे पूछने पर कि चयनित अनुबंध के आधार पर कार्य क्यो कराया गया तथा शेष राशि रु 34.29 लाख (रु 187.80 लाख - रु 153.51 लाख) जिसमे रु 22.17 लाख जो पूर्व ठेकेदार से अर्थदण्ड के रूप मे प्राप्त किया जाना था, शामिल था। उससे छूटे हुए कार्य लागत रु 111.79 लाख (संलग्नक के अनुसार) को किस प्रकार किया जा सकता है।

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य को शीघ्रता से कराये जाने हेतु स्टेज-I के छोड़े गये कार्य को चयनित अनुबंध से कराया गया तथा छूटे हुए कार्य के संबंध मे अवगत कराया गया कि वर्तमान मे कार्य के अंतिमिकरण के पश्चात ही अंतिम देयक एवं पेनाल्टी के उपरांत ही शेष राशि ज्ञात होगी। जिसको स्टेज-II के कार्यो के साथ शामिल कर लिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि चयनित अनुबंध के आधार पर रु 187.80 लाख का अनुबंध किया जाना वित्तीय नियमो के विपरीत था। तथा चयनित अनुबंध यदि कार्य को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था तो वह भी पूरा नहीं कराया जा सका क्योकि कार्य आठ वर्षो से अधूरा पड़ा हुआ था। साथ ही स्टेज-I के अधूरे कार्य को स्टेज-I के शेष राशि से ही पूरा किया जाना चाहिये था। जो इकाई द्वारा नहीं कराया जा सका।

अतः 11 वर्ष (वर्ष 2007 से 2018 तक) व्यतीत होने एवं रु 355.38 लाख (रु 201.87 लाख + रु 153.51 लाख) व्यय होने के बावजूद स्टेज-1 का कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक

सेमी पनई मोटर मार्ग मे वर्तमान तक अपूर्ण कार्य

Name of Item	Qty. to be executed	Amount
Earth work in Hill road:- Excavation in hilly area	100-80= 20%	15.13 laakh
Cross drainage work:- Excavation in foundation	716.25-344.97 cum= 371.28 cum	371.28 cum *23.96=0.09 lakh
RR masonry 1:5	99.79-39.05 cum=60.74 cum	60.74*1664=1.01 lakh
Hand packed stone filling	393.75 cum	393.75*323.00=1.27 lakh
Providing and laying boulder apron in wire crates	55 no.	55*940= 0.52 lakh
Cement concrete with cement coarse sand and 20 mm crates 1:3:6	175 cum	175*2949=5.16 lakh
Cement concrete with cement coarse sand and 20 mm crates 1:2:4	87.50 cum	87.50*3410= 2.98 lakh
Construction of RCC scupper laid in 1:5 RR stone	110 no.-2.00 no.= 99 no.	99.00*47019=46.54 lakh
Side drains: construction of hill side pucca drain	2.00 km.	2*360290=7.20 lakh
Construction of Kutcha drains	14.500 km	14.500*6290=0.91 lakh
Road furniture works:- providing and fixing of kimi stone	17 no.	17*1376=0.23 lakh
Same as above but hectometer stone	66 no.	66*243=0.16 lakh
Providing edge stone	4125 no.	4125*124=5.11 lakh
Construction of parapet	495 no.	495*2120=10.49 lakh
Providing fixing road name board	2 no.	2*4505=0.09 lakh
Providing and fixing road traffic sign board	70 no.	70* 1795= 1.25 lakh
Providing and fixing PMGSY logo board	2 no.	2 *2298= 0.045 lakh
Other work:- Excavation in foundation in all type of soil	505.54 cum	505.54*23.96=0.12 lakh
Cement concrete with cement coars sand	51.46 cum	51.46*2949=1.51 lakh
RR stone masonry laid in 1:4	162.80 cum	162.80*1836= 2.98 lakh
Reinforced concrete with 1:5	44.40 cum	44.40*4515=2.00 lakh
Mild steel deformed bars	34.63- 16.73 cum=17.90 cum	17.90*4536= 0.81 lakh
Reinforced concrete work with 1:5	3.84 cum	3.84*4515=0.17 lakh
Raised pointing laid in 1:3 cement sand mortar	196.63 Sqm	196.63*34= 0.066 lakh
Hand packed stone filling	106 cum	106*323=0.34 lakh
Construction of parapets in both side	20 no.	20*2120= 0.42 lakh
Excavation in foundation in all types	276 cum	276*23.96= 0.66 lakh
R R stone masonry laid in 1:5 cement	273.00 cum	273*1664= 4.54 lakh
	Total Rs.	**111.79 lakh**

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- तीन वर्षो से 06 निर्माण कार्यो पर मोबालाइजेशन अग्रिम एवं मशीन अग्रिम मे अवशेष रु 418.09 लाख

As per para 9.3.3 of operation manual regarding Mobilization Advance:
As per clause 45 of the GCC, the Contractor is entitled to get mobilization advance upto 5% of the Contract price (excluding routine maintenance). The advance shall be paid by the Employer against submission by the Contractor of an unconditional Bank Guarantee in the prescribed format by a commercial bank acceptable to the Employer in an amount equal to advance payment. The Bank Guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid. The amount of the Bank Guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. The Employer is entitled to ensure that the advance payment has been used by the Contractor for the purpose it has been released. The Employer is entitled to ask for copies of invoices or other documents as may be determined by him. The repayment of advance will be effected by the engineer by deducting proportionate amounts from the payments due or otherwise falling due.

इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के अनुसार वर्ष 2015 से 2018 के मध्य 06 निर्माण कार्यो पर मोबालाइजेशन अग्रिम एवं मशीन अग्रिम प्रदान किया गया था। जिन पर देयकों के भुगतान के बावजूद वर्तमान तक निम्नलिखित राशि अवशेष थी। जिनका समायोजन करना इकाई को बाकी था।

निर्माण कार्य का नाम	मोबीलाइजेशन अग्रिम की राशि दिनांक सहित	मशीन अग्रिम की राशि दिनांक सहित	वर्तमान तक वसूल की गई राशि	अवशेष अग्रिम की राशि	देयकों पर किया गया व्यय
हेलंग ल्यारी मोटर मार्ग स्टेज-I	950000/- दि030.12.2016	1900000/- दि0 30.12.2016	2100000/-	750000/-	12997996/-
सैंजी लग्गा मैकोट बेमरू मोटर मार्ग	7900000/- दि0 28.02.15	15800000/- दि0 28.02.2015	7680000/-	16020000/-	728,20,433/-
उड़ामांडा रौता मोटर मार्ग अवशेष कार्य	6563000/- दि0 08.02.18	13125000/- दि0 08.02.2018	10000000/-	9688000/-	589,45,307/-
मारवाड़ी थैंग मोटर मार्ग स्टेज-I	11,75,000 दि० 25.10.10	2350000 दि० 25.10.10	1690000	1835000/-	178,33,590/-
सैंजी लग्गा बेमरू मोटर मार्ग स्टेज-I	617000/- दि0 31.03.10	1233000/- दि0 31.03.10	24,0000	1610000	5851345

सैंजी लग्गा बेमरू मोटर मार्ग स्टेज-I	49,19,000/- दि 31.03.10	9839000/- दि0 31.03.10	2852000	11906000	8900.348

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर स्वीकार किया गया कि भविष्य मे इस संबंध मे विशेष ध्यान रखा जायेगा । अतः रु 418.09 लाख के अवशेष अग्रिम का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- रु 622.94 लाख का प्रतिकर का भुगतान न किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि का बहिनामा, रजिस्ट्री किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टांप नियमावली 1997 मे निहित प्रावधानों के सर्किल रेट के अनुसार होगी।

इकाई के अभिलेखो कि संपरीक्षा मे पाया गया कि माह 11/2017 से 01/2018 के दौरान इकाई को 14 कार्यो के प्रतिकर भुगतान हेतु रु 643.64 लाख रुपये आबंटित किये गये। परंतु इकाई द्वारा 14 कार्यो मे से मात्र 04 कार्यो पर प्रतिकर की राशि रु 20.70 लाख वितरित किया गया। तथा शेष राशि रु 622.94 लाख यूआरआरडीए को माह 06/2018 मे समर्पित कर दिया गया ।

इकाई से प्रतिकर का भुगतान न होने का कारण पूछने पर बताया गया कि काश्तकारों के उपलब्ध न होने तथा अमीन की कमी के कारण प्रतिकर का भुगतान अवशेष था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सड़क मार्गो मे प्रतिकर का भुगतान प्राथमिकता आधार पर किया जाना चाहिये। क्योंकि इससे एक ओर जमीन की उपलब्धता संबंधी विवाद से बचा जा सकता है, वही दूसरी ओर बाद मे प्रतिकर के भुगतान से बढ़े हुए सर्किल रेट के भार से बचा जा सकता है।

अतः रु 622.94 लाख के प्रतिकर का भुगतान न किया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- दिशा निर्देशों के विपरीत रु.8.96 लाख समायोजन ना किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्ततिका खण्ड (V) के 172 के अनुसार अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेक्ष प्रदान किया जाता है। जिसे यथाशीघ्र closed किया जाना चाहिये ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पोखरी की अस्थाई अग्रिम पंजिका एवं अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि कनिष्ठ/सहायक अभियंताओ को माह 2/2018 से माह 10/2018 तक कुल रु.8,96554/ लाख अस्थाई अग्रिम के रूप मे दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

Sr.NO	Name & Degenation	Date of open TI	Amount
1	Shri vikas Chandra badola (JE)	7.2.2018	61004..
2	Shri vikas Chandra badola (JE)	7.2.2018	22473.
3	Shri vikas Chandra badola (AE)	23.3.2018	71828.
4	Shri Deepak kumar (AE)	6.7.2018	69925.
5	Shri S P singh(AE)	26.10.2018	602700.
6	Shri S P Singh (AE)	26.10.2018	68624.
Total=			**8,96554/-**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की समायोजन की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेक्ष प्रदान किया जाता है। जिसे यथाशीघ्र closed किया जाना चाहिये। रु. 8.96 लाख को एक माह से नौ माह बाद भी अस्थाई अग्रिम का समायोजन ना किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तरों की सं0 एवं वर्ष	कुल अनिस्तारित प्रस्तर	भाग 2 अ	भाग 2 ब
01/2011-12	02	--	1,2
78/2012-13	03	01	2, 3
12/2014-15	07	1,2,3,4	1,2,3
167/2015-16	02	1,2	-----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या सक्षम प्राधिकारियो को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। जिस कारण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य--------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्षा का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	ई0 आर॰पी॰ सिंह	20.10.2014 से 01.08.2017 तक
2.	ई0 राजकुमार	1.08.2017 से 14.07.2018 तक
3.	ई0 तनुज काम्बोज	14.07.2018 से 22.10.2018 तक
4.	ई0 राजकुमार	22.10.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट चंपावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.